

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर।

क्रमांक/प्रशा.आदेश/स्टेनो/2023/05

दिनांक : 13.06.2023

::- संशोधित कार्यालय आदेश -::

मैं, सोनल पुरोहित, लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक-सामान्य/XV/54/2020/3325 दिनांक 30.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के पत्र क्रमांक-3654 दिनांक 31.05.2020 की अनुपालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के लिए पुलिस थाना हदां एवं मुक्ताप्रसाद का सर्जन हो जाने से पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशा.आदेश/स्टेनो/2021/04 दिनांक 27.07.2021 तथा संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशा.आदेश/स्टेनो/2023/01 दिनांक 20.01.2023 में क्रम संख्या 17 पर अंकित पुलिस थाना, कोलायत, गजनेर, रणजीतपुरा एवं कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशा.आदेश/स्टेनो/2021/04 दिनांक 27.07.2021 में क्रम संख्या 11 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित सूची के खण्ड-2 में लगाने वाले पुलिस थाना क्षेत्र के उपर्युक्त कार्य करने हेतु खण्ड सं.-3 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी भी कारणवश उनके मुख्यालय से बाहर रहने/अतिरिक्त कार्यभार होने की स्थिति में उक्त कार्य के लिए क्रमशः खण्ड-4, खण्ड-5, खण्ड-6, खण्ड-7 एवं खण्ड-8 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावित करती हूँ। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के न्यायालय अधिकारी के अवकाश पर अथवा किसी भी कारणवश मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में न्यायालय के लिए निम्नलिखित सूची में अंकितानुसार नियुक्त क्रमशः लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कार्य किया जावेगा तथा सूची में अंकित सभी लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी किन्हीं कारण से स्वीकृत अवकाश पर होने की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य को सम्पादित करेगा।

धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान लेखबद्ध किए जाने के लिए लिंक न्यायिक मजिस्ट्रेट की सूची।

खण्ड-1 क्र०सं०	खण्ड-2 पुलिस थाना	खण्ड-3	खण्ड-4	खण्ड-5	खण्ड-6	खण्ड-7	खण्ड-8
11	नयाशहर, मुक्ताप्रसाद	ACJ & JM No.02 Bikaner	ACJ & JM No.03 Bikaner	N.I.ACT Court, N.01 Bikaner	N.I.ACT Court, N.02 Bikaner	N.I.ACT Court, N.03 Bikaner	CJ & JM No.3 Bikaner
17	कोलायत, गजनेर, रणजीतपुरा, हदां	Gram Nyayalaya Kolayat	N.I.ACT Court, N.01 Bikaner	N.I.ACT Court, N.02 Bikaner	ACJ & JM No.02 Bikaner	ACJ & JM No.01 Bikaner	CJ & JM Bikaner

(सोनल पुरोहित)
लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीकानेर।

दिनांक : 13.06.2023

क्रमांक/प्रशा.आदेश/स्टेनो/2023/860

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ
- 2- पुलिस अधीक्षक बीकानेर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को बीकानेर स्थित समस्त पुलिस आरक्षी केन्द्र में प्रसारित करावें।
- 3- विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज) बीकानेर।
- 4- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.01/02/03/04 / (किराया अधिकरण) बीकानेर।
- 5- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेल्वे, बीकानेर/ लूनकरनसर/ खाजूवाला / श्रीडूंगरगढ़/ नोखा।
- 6- न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, बीकानेर।
- 7- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.0-01/02/03 बीकानेर।
- 8- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कोलायत/ बीकानेर।
- 9- विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. कैसेज) संख्या- 01/02/03- बीकानेर।
- 10- न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला/ छत्तरगढ़/ कोलायत/ नोखा जिला बीकानेर।
- 11- कार्यालय प्रति।

✓ S O

(सोनल पुरोहित)
लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीकानेर।